

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025


प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ५/१०/२५

-: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खट्टा
व. भू.अ.नि. वेल्मगटा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार वेल्मगटा /नायब
तहसीलदार वेल्मगटा की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खट्टा तहसील वेल्मगटा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या ७२, ७१, २७६, ७३, ७४ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खट्टा</u>	72	<u>माधवलाल गाडी</u>	<u>माधवलाल गाडी</u>
		71	<u>—</u>	<u>—</u>
		276	<u>—</u>	<u>—</u>
		73	<u>—</u>	<u>—</u>
		74	<u>—</u>	<u>—</u>


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी रेलमगटा सहायक कलक्टर वेल्मगटा

क्रमांक- 314
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार वेल्मगटा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री माधवलाल गाडी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी रेलमगटा सहायक कलक्टर वेल्मगटा